



Neutral Citation No. - 2026:AHC:163897

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 41551 वर्ष 2024

अभिषेक चौबे और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : चंद्र भूषण तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 की ओर से श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता ने वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान आवेदन आवेदकों द्वारा आरोप-पत्र दिनांक 22.03.2022 तथा आक्षेपित संज्ञान आदेश दिनांक 12.07.2022 के साथ-साथ वाद संख्या 12084 सन् 2022 (राज्य बनाम अभिषेक एवं अन्य) की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या 0310 सन् 2021, धारा 406 आई.पी.सी., थाना-हलधरपुर, जनपद-मऊ से उद्भूत है।

4. पूर्व में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 04.12.2024 के आदेश के माध्यम से मामले को उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद को संदर्भित किया गया था।

4. आज जब मामले को लिया गया, तो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 04.12.2024 के आदेश के अनुपालन में दोनों पक्ष उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद के समक्ष उपस्थित हुए और दोनों पक्षों ने मध्यस्थता केंद्र के समक्ष दिनांक 24.04.2025 को समझौता करार किया। अंतिम समझौता करार दिनांक 24.01.2025 की प्रमाणित प्रति भी वर्तमान आवेदन की आदेश-पत्रिका के साथ अभिलेख पर लाई गई है।

5. सुविधा के लिए, अंतिम समझौता करार के प्रासंगिक अनुच्छेद संख्या 7 को निम्नवत् उद्धृत किया जाता है:

"क. यह कि आवेदक सं. 2- पवन कुमार उपस्थित नहीं है परन्तु यह समझौता आवेदक सं. 2- पवन कुमार पर भी लागू होगा तथा उपस्थित पक्ष आवेदक सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 को इस समझौते से कोई आपत्ति नहीं है।



ख. कि दोनों पक्षों के मध्य आपसी सहमति से अपने विवाद को इस शर्त पर सुलझा लिया है कि आवेदकगण प्रतिवादी सं. 2 को रु. 4,00,000/- (चार लाख रुपये मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये अदा करेंगे।

ग. यह कि उपरोक्त तय धनराशि अर्थात् रु. 4,00,000/- (चार लाख रुपये मात्र) में से आवेदक सं. 1 ने रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये) की धनराशि प्रतिवादी सं. 2 को पहले ही अदा कर दी है जिसकी प्राप्ति प्रतिवादी सं.- 2 ने सुनिश्चित की है।

घ. यह कि आज दिनांक 24.01.2025 को आवेदक सं. 1 ने बकाया धनराशि अर्थात् रु. 3,00,000/- (तीन लाख रुपये मात्र) का एक डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. 498142 जो कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दिनांक 23.01.2025 को प्रतिवादी सं. 2- सुनील कुमार सिंह के नाम जारी किया गया है, प्रतिवादी सं. 2 को सौंप दिया है जिसकी प्राप्ति प्रतिवादी सं. 2 ने सुनिश्चित की है।

ड. यह कि दोनों पक्षों के मध्य यह भी तय हुआ है कि इस तय धनराशि को प्राप्त करने के पश्चात् दोनों पक्षों के मध्य अपराध सं. 0310 of 2021 कोई दावा, विवाद व देनदारी एक दूसरे के प्रति शेष नहीं रहेगी।

च. यह कि यदि माननीय न्यायालय द्वारा बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या 41551 वर्ष 2024में आदेश पारित कर दें तो प्रतिवादी सं. 2 को किसी भी तरीके से कोई आपत्ति नहीं होगी।"

6. उपर्युक्त समझौता करार के दृष्टिगत, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने समझौता करार में दर्ज दोनों पक्षकारों के बयानों के संदर्भ में प्रस्तुत किया कि इस करार पर हस्ताक्षर करके पक्षकार यह घोषित करते हैं कि वर्तमान आवेदन के संबंध में उनका एक-दूसरे के विरुद्ध कोई अन्य दावा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं है और इस संबंध में सभी विवाद एवं मतभेद सुलह/मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से निपटा लिए गए हैं; अतः उक्त आपराधिक वाद की संपूर्ण कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जा सकती है।

7. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त कथन का खंडन नहीं कर सके।

8. यह न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों से अनभिज्ञ नहीं है:

(1) बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य; (2003) 4 एस सी सी 675;(2) निखिल मर्चेट बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन; (2008) 9 एस सी सी 677;(3) मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य; (2008) 16 एस सी सी 1;(4) ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य; (2012) 10 एस सी सी 303;(5) नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य; (2014) 6 एस सी सी 466; तथा(6) रामगोपाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य; 2021 लीगल ईगल (एससी) 569।

10. उपर्युक्त निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि कुछ संज्ञेय एवं गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के मध्य समझौता किया जा सकता है।

11. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के पश्चात, न्यायालय का सुविचारित मत है कि उपर्युक्त आपराधिक वाद की कार्यवाही को आगे बढ़ाने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि पक्षकारों ने अपने विवाद का पहले ही निस्तारण कर लिया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. तदनुसार, वाद संख्या 12084 सन् 2022 (राज्य बनाम अभिषेक एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 0310 सन् 2021, धारा 406 आई.पी.सी., थाना- हलधरपुर, जनपद- मऊ से उद्भूत है, की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

13. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

05 अगस्त, 2026

अकबर

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)